श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद अधिनियम द्वारा स्थापित)

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

धारा 4(1) (बी) (xv)

1.1.1: संगठन का नाम और पता: श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

1.1.2: संगठन का प्रमुख: कुलपति

1.1.3: संस्था का दृष्टिकोण और मुख्य उद्देश्य:

विश्वविद्यालय का उद्देश्य:

अत्यधिक विशिष्ट शाखाओं पर विशेष ध्यान देते हुए पारंपरिक संस्कृत विद्या में शिक्षा प्रदान करना। संस्कृत साहित्य में उच्च अध्ययन के अलावा, विश्वविद्यालय एशिया की अन्य भाषा और साहित्य में उच्च स्तरीय शोध के लिए भी प्रतिबद्ध है जिसका संस्कृत साहित्य पर प्रभाव रहता है।

शास्त्रीय संस्कृत और संस्कृत में समकालीन साहित्य का अध्ययन।

संस्कृत विरासत के ज्ञान को समृद्ध करना।

वेद-वेदांग की पारंपरिक व्याख्या और समकालीन सोच में आए बदलावों के विशेष संदर्भ में शास्त्रों की व्याख्या करना।

विद्वानों को संस्कृत के सहायक घटकों अर्थात ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में उच्च अध्ययन के अवसर प्रदान करना और साथ ही कुछ पांडुलिपियों की पहचान कर उन्हें आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए संरक्षित करना।

विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण:

शास्त्रीय परंपरा और शास्त्रों की व्याख्या को आधुनिक संदर्भ में समस्याओं के प्रति उनकी प्रासंगिकता स्थापित करके संरक्षित करना।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य : -

- शास्त्रीय परंपरा को संरक्षित करना।
- शास्त्रों की व्याख्या करना।
- आधुनिक संदर्भ में समस्याओं के लिए उनकी प्रासंगिकता स्थापित करना।
- शिक्षकों के लिए आधुनिक और साथ ही शास्त्रीय विद्या में गहन प्रशिक्षण के साधन उपलब्ध कराना।
- इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना ताकि विश्वविद्यालय की अपनी विशिष्ट पहचान हो।
- उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में विश्वविद्यालय निम्न कार्य करेगा ।
- अत्यधिक विशिष्ट शाखाओं पर विशेष ध्यान देते हुए पारंपरिक संस्कृत विद्या में शिक्षा प्रदान करना।
- संस्कृत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना और संस्कृत शिक्षा के शैक्षणिक पहलुओं में अनुसंधान करना।
- संस्कृत अध्ययन पर प्रभाव डालने वाली एशिया की ऐसी भाषाओं और साहित्य के अध्ययन के लिए सुविधाएँ प्रदान करना जैसे पाली, ईरानी, तिब्बती, मंगोलियन, चीनी, जापानी आदि।
- भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर विशेष जोर देने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना और संस्कृत और संबद्ध विषयों में परीक्षाएँ आयोजित करना।
- संस्कृत में और उसके बारे में साहित्य प्रकाशित करना और मूल ग्रंथों, टिप्पणियों और अनुवादों सहित मुद्रित और गैर-मुद्रित सामग्री विकसित करना। शोध निष्कर्षों, पत्रिकाओं और शोध में सहायक सामग्री जैसे सूचकांक, डाइजेस्ट और ग्रंथसूची सामग्री के प्रकाशन की व्यवस्था करना।
- पांडुलिपियों को एकत्रित करना, संरक्षित करना और प्रकाशित करना तथा राष्ट्रीय संस्कृत पुस्तकालय और संग्रहालय का निर्माण करना और विशेष रूप से संस्कृत पांडुलिपियों के लिए प्रयुक्त लिपियों में पाण्डुलिपि विज्ञान में प्रशिक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना।
- संस्कृत में तकनीकी साहित्य सहित मूल संस्कृत ग्रंथों की सार्थक व्याख्या के लिए आवश्यक आधुनिक विषयों में शिक्षा के लिए साधन उपलब्ध कराना।

- पारस्परिक समृद्धि के लिए आधुनिक और पारंपरिक विद्वानों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना।
- शास्त्र परिषद, सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- अन्य शैक्षणिक निकायों, संस्थानों की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों को विश्वविद्यालय के समकक्ष मान्यता देना।
- विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक संकायों की स्थापना करना और ऐसे बोर्ड और समितियों का गठन करना।
- समय-समय पर अपनाए गए नियमों और उप-नियमों के अनुसार फैलोशिप, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और पदक स्थापित करना और प्रदान करना।
- किसी अन्य संघ, समाज या संस्था की सदस्यता लें और सदस्य बनें या उसमें भाग लें और उसके साथ सहयोग करें जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समान हो और विश्वविद्यालय के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक, आवश्यक या सहायक सभी गतिविधियों को परिणाम दें।

संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण

अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन ने 8 अक्टूबर, 1962 को विजयादशमी के पावन अवसर पर दिल्ली में संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की तथा डॉ. मंडन मिश्र को विद्यापीठ का विशेष कार्य अधिकारी एवं निदेशक नियुक्त किया। सम्मेलन के निर्णय के अनुसार अखिल भारतीय संस्कृत विद्यापीठ के नाम से एक पृथक सोसायटी की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। स्वर्गीय श्री शास्त्री जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन इस विद्यापीठ के विकास के लिए प्रेरणास्रोत रहे। शास्त्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस विद्यापीठ को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की संस्था के रूप में विकसित करने की घोषणा की।

शास्त्री जी की मृत्यु के बाद स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने विद्यापीठ की अध्यक्षता स्वीकार की और 2 अक्टूबर, 1966 को घोषणा की कि विद्यापीठ को अब से श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के नाम से जाना जाएगा। 1 अप्रैल, 1967 को विद्यापीठ को भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया और 21 दिसंबर, 1970 को यह राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, एक पंजीकृत स्वायत्त सोसायटी का एक घटक बन गया और इसका नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ रखा गया।

इसके प्रदर्शन और सर्वांगीण विकास से प्रभावित होकर भारत सरकार ने मार्च, 1983 में इस विद्यापीठ को केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के साथ-साथ मानद विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। अंततः आवश्यक निरीक्षण और अन्य औपचारिकताओं के बाद भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर नवम्बर, 1987 में विद्यापीठ को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हमारे विद्यापीठ सहित दो अन्य संस्कृत विश्वविद्यालयों को संसद के अधिनियम द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया और 30 अप्रैल, 2020 को आधिकारिक रूप से "श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय" में परिवर्तित कर दिया गया।

1.1.4: कार्य एवं कर्तव्य:

(i) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली से ली गई सभी परिसंपत्तियों का प्रशासन, प्रबंधन एवं रखरखाव करना तथा उसके दायित्वों का निर्वहन करना, तथा समय-समय पर निर्मित/अर्जित विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियों का प्रशासन, प्रबंधन एवं रखरखाव करना तथा उसके दायित्वों का निर्वहन करना।

(ii) संस्कृत विद्या की विभिन्न शाखाओं में अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्धारित करना एवं संचालित करना;

(iii) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों, बाह्य गतिविधियों एवं विस्तार सेवाओं का आयोजन एवं संचालन करना;

(iv) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना;

(v) शास्त्रार्थ सहित परीक्षा आयोजित करने और परिणाम घोषित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना;

(vi) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, क्रेडिट और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ या उपाधियाँ प्रदान करना, जिनमें मानद उपाधि भी शामिल है;

(vii) फीस और अन्य प्रभार निर्धारित करना, मांगना और प्राप्त करना;

(viii) छात्रों और विद्वानों के निवास के लिए हॉल और छात्रावासों की स्थापना, किराये पर लेना, रखरखाव, प्रबंधन और मान्यता देना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और सामान्य कल्याण, सांस्कृतिक और शैक्षिक जीवन को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना;

(ix) छात्रों के लिए एन.सी.सी., एन.एस.एस., खेल और अन्य समान गतिविधियों के लिए सुविधाएँ प्रदान करना।

(x) यूजीसी/जीओआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यापीठ के शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य पदों/कर्मचारियों की संख्या, योग्यता, वेतनमान, पारिश्रमिक और सेवा की शर्तें निर्धारित करना;

(xi) विद्यापीठ के किसी भी अनुशासन, विभाग और संकाय का पुनर्गठन विद्यापीठ की शैक्षणिक परिषद और प्रबंध मंडल की पूर्व स्वीकृति से करना;

(xii) व्यय को विनियमित करना और विश्वविद्यालय के खातों का प्रबंधन करना;

(xiii) किसी भी भूमि या भवन या कार्य को खरीदना, पट्टे पर लेना या उपहार के रूप में स्वीकार करना या अन्यथा जो विद्यापीठ के उद्देश्य के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो और ऐसी शर्तों और नियमों पर जैसा कि वह उचित और उचित समझे और किसी भी ऐसे भवन या कार्य का निर्माण और परिवर्तन करना और उसका रखरखाव करना;

(xiv) ऐसे कक्षा-कक्ष, प्रयोगशालाएँ, कार्यशालाएँ, पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित करना और उनका रखरखाव करना जिन्हें विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक समझा जाए;

(xv) चल या अचल संपत्ति के किसी भी हिस्से को ऐसी शर्तों पर बेचना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निपटाना जैसा कि वह विश्वविद्यालय के हितों और गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उचित समझे।

(xvi) वित्त समिति की स्वीकृति से आवश्यकतानुसार उतने खाते बनाए रखना ताकि

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई सभी धनराशियाँ,
- भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी धनराशियाँ,
- फीस और अन्य प्रभार,
- अनुदान, दान के रूप में प्राप्त धनराशि, विद्यमान सरकारी नियमों के अनुपालन के अधीन,

- किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि, विद्यमान सरकारी नियमों के अनुपालन के अधीन;

(xvii) भारत सरकार/यूजीसी के निर्देशानुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी अन्य बैंक के खाते में जमा धनराशि जमा करना या नियमों में निर्धारित तरीके से निवेश करना।

(xviii) बैंक खातों का संचालन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यदि रजिस्ट्रार या वित्त अधिकारी अनुपस्थित है, तो खातों का संचालन कुलपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित अधिकारियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मौद्रिक सीमाओं के भीतर किया जाएगा;

(xix) यूजीसी या इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य निकाय की पूर्व स्वीकृति से नियम बनाना, संशोधित करना या रद्द करना;

(xx) विश्वविद्यालय के प्रबंधन के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले उपनियमों का निर्माण करना तथा इसके कार्यों को विनियमित करना, तथा इन उपनियमों को परिवर्तित, संशोधित तथा निरस्त करना;

(xxi) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसे उपकार, बीमा, चिकित्सा/स्वास्थ्य देखभाल योजना, भविष्य निधि, पेंशन और ग्रेच्युटी आदि की व्यवस्था करना, जो भारत सरकार/यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि उपनियमों में निर्धारित किया जा सकता है;

(xxii) किसी अधिकारी या प्रबंध बोर्ड द्वारा गठित किसी समिति को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अपनी कोई शक्ति और कार्य सौंपना, जैसा कि वह उचित समझे;

(xxiii) आयोग के पूर्व अनुमोदन से भारत और विदेश में अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ संयुक्त शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करना, जो अनिवार्य मूल्यांकन और मान्यता के अधीन होगा;

(xxiv) प्रस्तावित संयुक्त कार्यक्रम आयोग के अधिनियमों और नियमों के अनुरूप होंगे जो समय-समय पर ऐसे कार्यक्रमों पर लागू होंगे।

(xxv) बशर्ते कि संस्थान द्वारा उद्योग के साथ सहयोग या अनुसंधान उद्देश्यों के लिए जाने पर ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(xxvi) ऐसी गतिविधियाँ करना जिन्हें विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों, शक्तियों और कार्यों या उनमें से किसी एक की प्राप्ति और/या विस्तार के लिए आवश्यक, अनुकूल या प्रासंगिक समझे।

(xxvii) भर्ती नियम

1.1.5: विश्वविद्यालय संगठनात्मक चार्ट

1.1.6 - अन्य विवरण - विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन तथा समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों के बारे में भी बताया गया है।
डीन और विभागाध्यक्षों की सूची: https://www.slbsrsv.ac.in/university-corner/list-deans-hods

वेद-वेदान्त विद्यालय:

- वेद वेदांग विद्यालय: वेद विभाग:-स्थापना वर्ष-1971
- पौरोहित्य विभाग:-स्थापना वर्ष-1964
- धर्मशास्त्र विभाग:-स्थापना वर्ष-1964
- व्याकरण विभाग:-स्थापना वर्ष-1964
- ज्योतिष विभाग:-स्थापना वर्ष-1964

- वास्तुशास्त्र विभाग:-स्थापना वर्ष-2004

दर्शन विद्यालय

- न्याय विभाग:-स्थापना वर्ष-1970
- सांख्य योग विभाग:-स्थापना वर्ष-1970
- योग विभाग:-स्थापना वर्ष-2018
- जैन दर्शन विभाग:-स्थापना वर्ष-1970
- सर्व दर्शन विभाग:-स्थापना वर्ष स्थापना-1964
- मीमांसा विभाग:-स्थापना वर्ष-1998
- वशिष्ठ अद्वैत वेदान्त विभाग:-स्थापना वर्ष-1997
- अद्वैत वेदान्त विभाग:-स्थापना वर्ष-1980

साहित्य एवं संस्कृति विद्यालय

- साहित्य विभाग:-स्थापना वर्ष-1962
- पुराणेतिहास विभाग:-स्थापना वर्ष-1964
- प्राकृत विभाग:-स्थापना वर्ष-19644.

आधुनिक विद्या विद्यालय

- मानविकी विभाग:-स्थापना वर्ष-1999
- आधुनिक विद्या विभाग:-स्थापना वर्ष-2018
- शोध विभाग:-स्थापना वर्ष-1962
- हिंदू-अध्ययन विभाग:-स्थापना वर्ष-20215.

शिक्षा विद्यालय

- शिक्षाशास्त्र विभाग:-स्थापना वर्ष-1987

बोर्ड:-

1. शोध बोर्ड
2. परीक्षा बोर्ड
3. शोध-प्रभा का संपादकीय बोर्ड
4. प्रॉक्टोरियल बोर्ड

समितियाँ

1. विभागीय शोध समीक्षा/सलाहकार समिति
2. शैक्षणिक कैलेंडर समिति
3. भवन समिति
4. प्रवेश समिति
5. नीति एवं योजना समिति
6. छात्रावास समिति
7. परिसर विकास समिति
8. छात्रवृत्ति समिति
9. शोध एवं प्रकाशन सलाहकार समिति
10. पुस्तकालय समिति
11. विवरणिका समिति
12. हिंदी राजभाषा समिति
13. रोस्टर समिति
14. शिकायत समिति
15. अनुशासन समिति
16. शोध उपाधि समिति
17. IQAC समिति

18. समान अवसर प्रकोष्ठ समिति
19. कैरियर परामर्श प्रकोष्ठ समिति

समितियों की अधिसूचना एवं आदेश

https://www.slbsrsv.ac.in/sites/default/files/uploadfiles/OrderofCommittees_1.pdf

https://www.slbsrsv.ac.in/sites/default/files/uploadfiles/order%20and%20notifications.pdf